1. सहायक निदेशक केन्द्रीय योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परीषद दिल्ली के दिनाँक 26.06.2006 के पत्र के अनुसार पंजीकृत संसथयो को नैचरोपैथी की शिक्षा देने का अधिकार है । कॉपी संल्गन

2. दिनाँक 14.09.2009 को भारतीय चिकित्सा परीषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक 1030/भा0चि0प0-सा0प्रशा0/09 के अनुसार नैचरोपैथी मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धिति है एंव केन्द्र/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नैचरोपैथी योगा बोर्ड का गठन नही किया गया है । कापी संल्गन

3. दिनाँक 16.09.2009 जवाब केन्द्रीय योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परीषद दिल्ली के पत्रांक 17-8/सीसीआरवाईएन/08-09/आर0टी0आई/मिस./पार्ट-2/11463 मे माँगी गई जानकारी के अनुसार विशवविघालय तथा पंजीकृत संस्थायो द्वारा डिप्लोमा प्रदान करने पर कोई आपत्ति नही की है । कापी संल्गन

4. दिनाँक 01.01.2010 एवं 22-07-2010 भारतीय चिकित्सा परीषद लखनऊ के पत्रांक 1387/भा0चि0प0-सा0प्रशा0/10 एंव 910/भा0चि0प0-सा0प्रशा0/09 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे नैचरोपैथी के चिकित्सको को चिकित्सा अभ्यास करने का पूर्ण अधिकार है । कापी संल्गन

5. दिनाँक 02.02.2010 केन्द्रीय योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परीषद दिल्ली के पत्रांक सीसीआरवाईएन/17.02.2009/आर0टी0आई/आयुष/2415 के अनुसार उत्तर प्रदेश मे नैचरोपैथी की शिक्षा चिकित्सा पंजीकृत संस्थायो द्वारा जारी नैचरोपैथी डिप्लोमा पर कोई रोक नही है 08,09,10 उत्तर के अनुसार । कापी संल्गन

6. दिनाँक 13.11.2007 मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरेली के पत्र संख्या मु0चि0अ0/आपूर्ति/2007-2008/10710 के अनुसार नैचरोपैथी की शिक्षा पर कोई आपत्ति नही है । कापी संल्गन

7. दिनाँक 28.04.2008 मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा के पत्र सं0 मु0चि0अ0/जन सूचना अ0चि0-05/2008-1367 के अनुसार नैचरोपैथी की शिक्षा मान्य है । कापी संल्गन

8. दिनाँक 15.05.2008 मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी के पत्र सं0 सी0एम0ओ0/ सूचना अधिकार/प्रा0प्रे0910 के अनुसार नैचरोपैथी डिप्लोमा मान्य है एंव हर्बल दवाईया प्रयोग करने का अधिकार है । कापी संल्गन

9. माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी इलाहाबाद, बाराबंकी, मैनपुरी, आजमगढ, प्रतापगढ,,बिजनौर आदि ने अपने कार्यालयो मे पंजीकृत संस्थायो द्वारा जारी डिप्लोमा मानकर पंजीकरण किए गये है । कापी संल्गन

10. केन्द्रीय स्वास्थ्य एंव परीवार कल्याण मंत्राल्य भारत सरकार के दिनाँक 25.11.2003 के आदेश सं0 R/14015/25/96/U & H (R) Pt के अनुसार नैचरोपैथिक चिकित्सक नाम से पहले डा0 शब्द लगाने की अनुमति । कापी संल्गन

11. उ0प्र0 मे नैचरोपैथी की मान्यता 1980 मे अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद जो सोस्याईटी एक्ट के अधीन पंजीकृत है इसके अनुरोध पर प्रदान की गई प्रतिलिपि संल्गन ।

सादर

भवदीय

14/9/2010

डा0 अशोक कुमार
बी0एन0एस0एम
अमर माया एन्कलेव
चादपुर रोड बुलंदशहर
उ0प्र0-203001

BOARD OF NATUROPATHY SYSTEM OF MEDICINE U.P. B.N.S.M.